प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 01914/2022-2023 दिनांक 03/01/2023

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण
संख्या:R/PRA/16008/2022-2023 पत्रावली संख्या:AL-23700 दिनांक:2007-2008

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **सुमन सिंह मेमोरियल एजूकेशन सोसायटी, ग्राम व पोस्ट बहुंचरा, तहसील व जनपद, प्रतापगढ, 230137** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 1124/2007-08 दिनांक-15/12/2007 को दिनांक-15/12/2022 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है। 1100 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

Digitally Signed By
(Sanjay Kumar Singh)
AC43DB175E59C493BAF1E4D3DAA45BDBF18B5D2D
Date: 03/01/2023 5:30:15 PM, Location: Prayagraj.

जारी करने का दिनांक-03/01/2023

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

80AE 719164

सुमन सिंह मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी

यह जनरल स्टाम्प पेपर

जनपद प्रतापगढ़ पत्रावली संख्या AE-23700

प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ संलग्न है।

साधारणसभा

2022-23

सहायक रजिस्ट्रार

फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

प्रयागराज मण्डल प्रयागराज

सुमन सिंह मेमोरियल एजूकेशनल सोसाइटी, ग्राम व पोस्ट बहुँचरा तहसील व जनपद प्रतापगढ़, प्रबन्धसमिति के साधारण सभा की सूची वर्ष– 2022–23

नाम	पिता / पति	पता	सदस्यता
1 डॉ० रामाश्रय सिंह	स्व० श्री राधा कृष्ण सिंह	डी०–110, निराला नगर, लखनऊ	आजीवन सदस्य
2 श्री राम प्रताप सिंह	स्व०श्री चन्द्रपाल सिंह	ग्राम व पोस्ट बहुँचरा, जिला प्रतापगढ़	आजीवन सदस्य
3 श्रीमती अंजना सिंह	श्री सी० बी० सिंह	ग्राम व पोस्ट बहुँचरा, जिला प्रतापगढ़	आजीवन सदस्य
4 प्रतिभा सिंह	राम निवास सिंह	डी० डी०109 गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर	आजीवन सदस्य
5 श्रीमती वेद कुमारी	श्री एम० एस० तोमर	36 / 2 सलोरी, इलाहाबाद	आजीवन सदस्य
6 श्री नरेन्द्र भूषण सिंह	श्री सी० बी० सिंह	ग्राम व पोस्ट बहुँचरा, जिला प्रतापगढ़	आजीवन सदस्य
7 श्री कुलदीप तेवर	स्व० श्री कृपाल सिंह	तेवर हाउस, इंदिरा कॉलानी देवबंद, सहारनपुर	सामान्य सदस्य
8 श्री राज कुमार गर्ग	श्री गंगा राम	मार्सगंज, शामली, जिला मुजफ्फर नगर	सामान्य सदस्य
9 श्री गिर्राज किशोर गुप्ता	श्री सूरज मल	खुर्जागेट, चंदौसी, मुरादाबाद	सामान्य सदस्य
10 श्रीमती मधु सिंह	श्री अशीष कुमार सिंह	डी०–110, निराला नगर, लखनऊ	सामान्य सदस्य
11 श्री अभिमन्यु सिंह	स्व० श्री एम0बी० सिंह	ग्राम व पोस्ट बहुँचरा, जिला प्रतापगढ़	सामान्य सदस्य
12 श्री संजय प्रताप सिंह	स्व० बी० बी० सिंह	ग्राम व पोस्ट बहुँचरा, जिला प्रतापगढ़	सामान्य सदस्य

R. P. Singh

Ramashray

राजकुमार गर्ग

यह प्रपत्र पत्रावली में संलग्न है

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.10

NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AD 948726

NOTARIAL — HIMALAYA PARASHAR — NOTARY — Govt. of India Regd. No. 1965

समक्ष सहायक निबंधक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स, इलाहाबाद ।

शपथपत्र मित्तजाचिव– श्रीमती अंजना सिंह पत्नी श्री सी0 बी0 सिंह

निवासी– ग्राम व पोस्ट बहुँचरा जिला प्रतापगढ़।

शपथपूर्वक निम्नलिखित व्यान करता हूँ कि

1. यह है कि शपथकर्ती संस्था सुमन सिंह मैमोरियल एजूकेशनल सोसाइटी, ग्राम व पोस्ट बहुँचरा तहसील व जनपद प्रतापगढ़ का प्रबन्धक/सचिव हूँ तथा उक्त पद पर चुनाव कार्यवाही में चुना गया हूँ ।
2. यह है कि उक्त संस्था मे अन्य कोई भी उक्त पद का दावेदार नही है ।
3. यह कि संस्था में कोई भी प्रबन्धकीय विवाद नहीं हैं और कोई वाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं हैं।
4. यह है कि उक्त संस्था को किसी भी विभाग के द्वारा काली सूँची में नही डाला गया है ।
5. यह है कि उक्त संस्था के अन्तर्गत उद्ददेश्यों के अनुरूप कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा हैं । जिसका आय–व्यय विवरण बैलेन्सशीट में दिया गया है ।
6. यह है कि संस्था के द्वारा अन्य किसी संस्था का संचालन नही किया जा रहा है ।
7. यह है कि उक्त संस्था के पदाधिकारियों/सदस्यों द्वारा संस्था की सम्पत्तियों से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष लाभ निजी/व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया जा रहा है। संस्था की परिसम्पत्ति संस्था के किसी पदाधिकारी/सदस्य के निजी प्रयोग में नही है।
8. संस्था का नवीनीकरण समय समय पर कराया जाता रहेगा ।
9. यह है कि संस्था के द्वारा अनुदान किसी भी विभाग से प्राप्त नहीं किया गया हैं ।
10. यह है कि आय–व्यय तथा बैलेसशीट में अंकित विवरण संस्था द्वारा रक्षित लेखा–पुस्तकों पर आधारित हैं उक्त विवरणों में संस्था की समस्त देयताओं एवं परिसम्पत्तियों का विवरण अंकित कर दिया गया हैं सभी सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में सभी श्रोतों से प्राप्त आय तथा किये गये व्यय एवं देयताओं तथा परिसम्पत्तियों का विवरण अंकित किया गया हैं ।
11. यह है कि संस्था का नवीनीकरण तथा वर्तमान प्रबन्धसमिति को पंजीकृत कराने हेतु आवेदन किया गया हैं ।

अंजना

Read Explained to Shri Smt. Anjana Singh W/o C. B. Singh

Who has been identified by Shri ....

सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त शपथपत्र की मद लगायत 1 से 13 तक दिया गया विवरण सत्य व सही है । मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के आधार पर इसमें कुछ भी नही छिपाया गया है। इसका सत्यापन आज दिनॉक ..1.2018 को आवास जनपद में किया गया ।

17/01/18

Signature

सत्य प्रतिलिपि

अंजना

ह0 शपथकर्ता

सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

26/2/2018

स्मृति–पत्र

1. संस्था का नाम :– सुमन सिंह मैमोरियल एजूकेशन सोसाइटी,
2. पंजीकृत कार्यालय :– ग्राम व पोस्ट बहुँचरा, तहसील व जनपद प्रतापगढ़ ।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र :– उत्तर प्रदेश होगा ।
4. संस्था के उद्देश्य :– निम्नलिखित होगें ।

१–संस्था का उद्देश्य शिक्षा का प्रसार व प्रचार करना व बच्चों में नैतिक, सामाजिक, शैक्षिक, शारीरिक, बौद्धिक, कलात्मक, रचनात्मक उन्नति का समुचित प्रयास करना।

२–संस्था का उद्देश्य बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु नर्सरी स्तर से प्राइमरी, जू०हा०स्कूल, हाई स्कूल, इण्टर कालेज, आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय, तकनीक विद्यालय, प्रबन्धकीय व व्यवसायिक शिक्षा हेतु उच्च कक्षाओं व कोर्सों के संचालन हेतु विद्यालयों, आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना व उनका संचालन करना ।

३–संस्था का उद्देश्य निर्धन असहाय, विकलांग बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करना व उन्हें छात्रवृत्ति दिलाने की भी व्यवस्था करना ।

४–संस्था का उद्देश्य क्रीड़ा केन्द्रों, व्यायामशाला, पुस्तकालय, वाचनालय एवं खेल सामिग्री की उचित व्यवस्था करना ।

५–संस्था का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास हेतु केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार समाज कल्याण विभागों आदि से दान, अनुदान, एवं चंदा आदि प्राप्त करना एवं प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ व्यय करना ।

६–केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, निगम/बोर्ड, सम्बन्धित विभागों के वित्तीय सहयोग से युवक–युवतियों के कल्याण व उन्हें आत्म–निर्भर व स्वावलम्बी बनाने हेतु मुलभरोजगारपरक प्रशिक्षण जैसे सिलाई, कढाई, कताई, बुनाई, हस्तशिल्प कला, वास्तुकला दस्तकारी, टरी, कालीन, ड्राइंग, पेंटिग, कला प्रशिक्षण तथा टंकण आशुलिपि एवं कम्प्यूटर–शिक्षण हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन्टरनेट, इलैक्ट्रिक, इलैक्ट्रोनिक्स, फैशन डिजायनिंग, टेक्सटाइल, डिजायनिंग, ब्यूटीशियन आदि का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्म–निर्भर बनाना तथा उनमें जागरूकता पैदा करना ।

७– आश्रित महिलाओं एवं अनाथ बच्चों के कल्याण हेतु समय–समय पर विभिन्न कल्याणकारी, कार्यक्रम चलाना, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, नारी निकेतन, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सांस्कृतिक कला केन्द्रों व बालश्रमिक बच्चों के उत्थान हेतु बाल श्रमिक विद्यालयों की स्थापना कर उनके उत्थान हेतु कार्य करना, सेवक योजकों द्वारा अल्पआयु के बच्चों को श्रमिक के रूप मे सेवा योजित न होने देना ।

८– पर्यावरण सुधार हेतु जागरूकता शिविरों का आयोजन कर नागरिकों को पर्यावरण विकास के लिये प्रेरित करना एवं जगह–जगह वृक्षारोपण कराना एवं पर्यावरण रक्षा गोष्ठियों का आयोजन कर बढ़ते प्रदूषण को कम करने का हर सम्भव प्रयास करना तथा सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को चलाना ।

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
...बाद

MANAGER
Suman Singh Memorial
Education Society
Pratap Garh

सचिव
सुमन सिंह मैमोरियल एजूकेशन सोसायटी
बहुँचरा-प्रतापगढ़ (उ०प्र०)

नियमावली

1. संस्था का नाम :- सुमन सिंह मैमोरियल एजूकेशन सोसाइटी,
2. पंजीकृत कार्यालय :- ग्राम व पोस्ट बहुँचरा, तहसील व जनपद प्रतापगढ़ ।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र :- सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ।
4. संस्था के उद्देश्य :- सलंग्न स्मृतिपत्रानुसार होगे ।
5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यता के वर्ग :-

संस्था के पंजीकरण के पश्चात् सदस्यता हेतु आनेदन प्राप्त होने पर संस्था की प्रवन्धसमिति के 2/3 सदस्यो के अनुमोदन के उपरान्त ही संस्था का सदस्य बनाया जा सकेगा । संस्था की सदस्यता शुल्क प्राप्त करने का अधिकार संस्था के प्रवन्धक/सचिव को होगा ।

1. आजीवन सदस्य :- जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त २५००० / रूपया सदस्यता शुल्क के रूप में देंगे अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति देंगे वह सज्जन इस संस्था के आजीवन सदस्य बनाये जायेंगे ।

3. साधारण सदस्य :- जो सज्जन इस संस्था को प्रतिवर्ष ५००० / रूपया सदस्यता शुल्क व चंदा के रूप में देंगे वे सज्जन इस समिति का साधारण सदस्य बनायें जायेंगे।

4. विशिष्ट सदस्य :- ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही हो जो कि संस्था को तन,मन,धन से सहयोग करने के लिये तत्पर रहते हों व जो विद्वान होंगे, सरकार द्वारा सम्मानित एवं उपाधि प्राप्त सदस्यों, एवं जनप्रतिनिधियों को वर्तमान कार्यकारिणी संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनीत करेगी और यह सदस्यता शुल्क से मुक्त होंगे और इनकी स्वेच्छा से दिया गया दान, चंदा, संस्था को स्वीकार होगा । ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने अथवा भाग लेने का अधिकार नहीं होगा परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सदस्यों की संख्या ५ से अधिक न होगी।

6. सदस्यता की समाप्ति :-

१— सदस्य की मृत्यु होने पर, पागल या दिवालिया घोषित होने पर,
२— आचरण भ्रष्ट होने पर एवं संस्था विरोधी कार्य करने पर ।
३— किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक कार्य करने पर दण्डित किये जाने पर ।
४— सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर ।
५— संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना कारण बताये अनुपस्थित होने पर ।
६— त्यागपत्र दिये जाने पर व उसे आम सभा के द्वारा पास होने पर।
७— संस्था के अहित में कार्य करने पर ।

7. संस्था के अंग :- (अ) साधारण सभा (ब) प्रबन्धकारिणी समिति

8. साधारण सभा :- *अ. गठन :-* साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

ब. बैठकें :- साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है ।

स. सूचना अवधि:- साधारण सभा की सामान्य बैठकों की सूचना कम से कम १५ दिन पूर्व व विशेष बैठकों की सूचना ३ दिन पूर्व सूचना के किसी उचित या पर्याप्त माध्यम से दी जायेगी।

द. गणपूर्ति:- गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के २/३ सदस्यों की उपस्थित का कोरम होगा ।

य. विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि:- संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष होगा जिसकी तिथि संस्था की कार्यकारिणी समिति के बहुमत से तय की जावेगी ।

...२.

सचिव
सुमन सिंह मेमोरियल एजूकेशन सोसायटी
बहुँचरा-प्रतापगढ़ (उ०प्र०)

...morial Edu... ...ciety Pratap Garh

र. साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-

१– संस्था की प्रबन्ध समिति का समय–समय पर चुनाव सम्पन्न करवाना ।

२– नियमों विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन साधारण सभा के २/३ बहुमत से करना।

३– वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने पर विचार विमर्श कर उसे स्वीकृत/अस्वीकृत करना ।

9. प्रबन्धकारिणी समिति :-

अ. गठन :- प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था की साधारण सभा में से २/३ बहुमत से सदस्यों को चुनकर किया जावेगा जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक/सचिव, तथा एक कोषाध्यक्ष, और शेष सदस्य होंगें । संस्था की प्रबन्धसमिति ही संस्था द्वारा संचालित विद्यालयं की प्रबन्धसमिति होगी ।

प्रबन्ध समिति में सदस्यों की आवश्यकतानुसार कम या अधिक की जा सकती है जो कि कम से कम ७ व अधिकतम १८ तक होगी ।

ब. बैठकें :- प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है ।

स. सूचना अवधि :- प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को एक दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित माध्यम से दे दी जायेगी ।

द. गणपूर्ति :- गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के २/३ सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा।

य. रिक्त स्थान की पूर्ति :- प्रबन्धकारिणी समिति के अंतर्गत यदि कोई आकस्मिक स्थान रिक्त होता है तो इस स्थान/पद की पूर्ति साधारण सभा के बहुमत से प्रबन्धकारिणी समिति में से शेष कार्यकाल के लिये कर ली जायेगी

र. प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य

१– संस्था की उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना एवं आपसी विवादों को सुलझाना ।

२– नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन, परिवर्धन साधारण सभा के २/३ बहुमत से कर उसे साधारण सभा से स्वीकृत कराना ।

३– वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना ।

४– संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों मंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों, प्रतिष्ठानों निकायों,नागरिकों आदि से दान, चंदा, ऋण, अनुदान एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना। तथा प्राप्त आय को संस्था के हितों व उद्देश्यों के कार्य में व्यय करना।

५– संस्था के विकास हेतु उपइकाईयों एवं उपसमितियां की स्थापना/गठन करना व उनका संचालन करना ।

ल. कार्यकाल :- प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।

10. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

1. अध्यक्ष :-

१– संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिंगों की अध्यक्षता करना ।

२– मीटिंग बुलाना व स्थगित करना, किसी विषय पर बराबर मत होने की दशा में अपना निर्णायक मत देना ।

३– संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना तथा संस्था की आम देखभाल करना ।

४. संस्था की प्रबन्धसमिति में विवाद होने की दशा में प्रबन्धक की सम्मति से प्रबन्धसमिति भंग

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबन्धक

फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

सचिव

सुमन सिंह मेमोरियल एजूकेशन सोसायटी

बहुआ–प्रतापगढ़ (उ०प्र०)

कर नवीन निर्वाचन कराना ।

2. उपाध्यक्ष :-

१– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके स्वीकृत कार्यों को करना व सामान्य स्थिति में उनका सहयोग करना ।

3– प्रबन्धक/सचिव :-

१– संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुंचाना, मीटिंग कार्यवाही लिखना ।

२– संस्था के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना ।

३– संस्था की चल–अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान, अनुदान तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त सम्पत्ति व सदस्यता शुल्क प्राप्त करना । प्राप्त आय को संस्था के कोष मे जमा करना व निकालना ।

४– संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना ।

५– संस्था के अंतर्गत संचालित संस्थानों व विद्यालयों मे कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, निष्कासन,पदोन्नति एवं पदच्युत करना, उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना। वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार करना ।

६– संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋण, अनुदान–पत्रों, चैकों, ड्राफ्टों, प्रपत्र–विलेखों, बिल–वाउचरों पर हस्ताक्षर करना ।

७– संस्था के विकास हेतु वे सभी आवश्यक कार्य करना जो कि संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था के विकास में सहायक हो सकना ।

कोषाध्यक्ष:-

१. संस्था के आय–व्यय का लेखा जोखा रखना व कोष को खाते में जमा करना ।

२. प्रबन्धक/सचिव द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना ।

11. संस्था के नियमों विनियमों मे संशोधन प्रक्रिया-
संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन, परिवर्धन सोसाइटीज रजि० अधि० की संगत धारा के अंतर्गत साधारण सभा के २/३ बहुमत से करना।

12. संस्था का कोष व लेखा व्यवस्था:- संस्था का कोष किसी भी बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा । जिसका संचालन संस्था के प्रबन्धक/सचिव व कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा अथवा उनके अधिकृत व्यक्ति के द्वारा किया जायेगा।

13. संस्था का लेखा परीक्षण :- संस्था का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष सत्र समाप्ति किसी योग्य ऑडीटर व आवश्यकतानुसार चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा ।

14. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व:-
संस्था द्वारा होने वाली समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही के संचालन की पैरवी संस्था के प्रबन्धक/सचिव द्वारा अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी ।

15. संस्था के अभिलेख :- १– सदस्यता रजिस्टर २– कार्यवाही रजिस्टर
३– कैशबुक, रसीद बुक ४– एजेण्डा रजिस्टर ५– निरीक्षण रजिस्टर

16. संस्था का विघटन :-
यदि भविष्य में कभी संस्था का विघटन होता है तो संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा १३ व १४ के अतंर्गत की जायेगी ।

दिनांक :- *सत्य-प्रतिलिपि*

सत्य प्रतिलिपि

सचिव
सुमन सिंह मेमोरियल एजूकेशन सोसायटी
प्रतापगढ़ (उ०प्र०)

Memorial Education Society Pratap Garh

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० इलाहाबाद